FORM NO -III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, **मुकाम** नागौर

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
रेडियनट इन्टरप्राईजेज जरिये पावर ऑफ एटॉर्नी होल्डर अनित पूनिया पुत्र मनीराम पूनिया उम्र 35 साल जाति जाट निवासी ई–22, पवन सुख अपार्टमेन्ट, हनुमान नगर, ई–वैशाली नगर, जयपुर राज0		राजस्थान सरकार जरिये अभियोजन अधिकारी

किस्म मुकदमा फौजदारी प्रार्थना पत्र **संख्या** 41 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
14.09.2021	वकील प्रार्थी ने धारा 451, 457 सी.आर.पी.सी. के तहत यह फौजदारी प्रार्थना पत्र पुलिस थाना डीडवाना द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 125/2021 अपराध अन्तर्गत धारा 467, 468, 471, भा0दं0सं0 व धारा 3, 5, 6 व 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनिमय) अधिनियम 1995 के तहत दर्ज प्रकरण में प्रार्थी की जब्त शुदा वाहन टाटा एलपीटी ट्रक नं0 आरजे 14 जीजे 7178 को जमानतनामा व सुपुर्दगी नामा पर छोड़े जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अभियोजन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को मय उक्त प्रकरण अनुसंधान पत्रावली सहित दिनांक 20.09.2021 को न्यायालय हाजा मे उपस्थित होने हेतु पाबन्द करावें। पत्रावली दिनांक 20.09.2021 को पेश हो। जिला कलक्टर, नागौर	
20.9.21	प्रार्थी की ओर से वकील मो0 शाहिद उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री सुशील कुमार उपस्थित। श्री राजेन्द्र कुमार हेड कानिन्सटेबल पुलिस थाना डीडवाना उपस्थित। वकील प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत धारा 451, 457 सी. आर.पी.सी. पर वकुलाय की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान वकील प्रार्थी का तर्क रहा कि प्रार्थी के स्वामित्व सुदा, कब्जा सुदा वाहन टाटा एलपीटी ट्रक नम्बर आरजे–14 जीजे–7178 है, जिसका पंजिकृत स्वामी रेडियनट इन्टरपाईजेज है, उक्त रेडियनट इन्टरपाईजेज कम्पनी में तीन पार्टनर है, जिसमें पुनम बनिवाल व [illegible] व प्रार्थी अनित पूनियां है, जिनके द्वारा प्रार्थी अनित पूनिया को आममुख्त्यार नियुक्त किया तथा पुलिस थाना डीडवाना ने उक्त ट्रक को जप्त कर रखा है जो पुलिस थाना [illegible] की तहवील में है। उक्त जप्तशुदा ट्रक की पुलिस थाना डीडवाना को कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायालय हाजा, उक्त वाहन को जब भी तलब करेगें, तब–तब प्रार्थी अपने स्वंय के खर्चे से अदालत हाजा में पेश कर देगा। प्रार्थी उक्त वाहन को जब तक मुकदमें का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक हस्तान्तरण आदि अन्य को नहीं करेगा तथा न्यायालय की अन्य कोई शर्त हो तो वो भी मानने को तैयार है, का कथन करते हुए वकील प्रार्थी ने प्रार्थी के वाहन टाटा एलपीटी ट्रक नम्बर आरजे–14 जीजे–7178 को	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:38:20 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर

फौजदारी प्रार्थना पत्र सं. 41/2021 रेडियन्ट इन्टरप्राइजेज अनिता शर्मा वs सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20.9.21 (लगातार)	सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर छोड़े जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। अभियोजन अधिकारी व श्री राजेन्द्र कुमार हेड कानिन्सटेबल पुलिस थाना डीडवाना ने प्रकरण में जब्तशुदा वाहन आरजे–14 जीजे–7178 के मालिक से अनुसंधान शेष होना अवगत कराते हुए जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर छोड़ना उचित नहीं होने का कथन किया है। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं प्रस्तुत केस डायरी का अवलोकन किया। प्रार्थी का वाहन पुलिस थाना डीडवाना के प्रकरण संख्या 125/21 में जब्त कर रखा है। प्रकरण के संबंध में थानाधिकारी पुलिस थाना डीडवाना द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रांक–3896 दिनांक 20.09.2021 के अनुसार प्रकरण में जब्तशुदा वाहन आरजे–14 जीजे–7178 के मालिक से अनुसंधान शेष है। चूंकि प्रकरण में अभी वाहन मालिक से अनुसंधान शेष है, ऐसी स्थिति में प्रकरण में जब्तशुदा वाहन को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर छोड़ना उचित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 457 द.प्र.सं. खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पुलिस थाना डीडवाना की मूल केश डायरी संबंधित को लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला कलक्टर नागौर कलक्टर, नागौर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:38:20 IST
Reason: SelfAttested